<u>ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB)</u>

No: UA/2019/67 25.01.2019

परिपत्र (Circular)

प्रति
सभी महासचिव
AUAB.

AUAB की 25.01.2019 को मीटिंग सम्पन्न

आज दिनांक 25.01.2019 को 11:00 hrs. पर NFTE कार्यालय, नई दिल्ली में AUAB की मीटिंग सम्पन्न हुई। कॉम चंदेश्वर सिंह, चेयरमैन, AUAB, ने अध्यक्षता की और कॉम पी अभिमन्यु ने सभी का स्वागत किया और एजेंडा प्रस्तुत किया।

मीटिंग में निम्नानुसार उपस्थिति रही।

BSNLEU:	Com. P. Abhimanyu, GS, BSNLEU & Convenor.
NFTE:	Com. Chandeswar Singh,GS, NFTE & Chairman and Com.Islam Ahmed, President.
SNEA:	Com. Sebastin, GS and Com. A.A. Khan, President.
AIBSNLEA:	Com. Prahlad Rai, GS and and Com. S. Sivakumar, President.
AIGETOA:	Com. Ravi Shil Verma, GS and Com. Badri, Vice President.
BSNL MS:	Com. Suresh Kumar, GS.
BSNL ATM:	Com. Rewati Prasad, AGS.
BSNL OA:	Com.H.P. Singh, Dy.GS.

मीटिंग में AUAB के मांगपत्र (चार्टर ऑफ डिमांड्स) अनुसार मुद्दों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मीटिंग में संज्ञान लिया गया कि 3rd पे रिवीजन के निराकरण में कोई प्रगति नही हुई है। यह भी महसूस किया गया कि 4G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर भी नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा व्यवधान निर्मित किया गया है। पेंशन रिवीजन के मुद्दे पर भी माननीय संचार राज्य मंत्री के पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन से पृथक करने के आश्वासन के बावजूद स्वयं DoT द्वारा अड़ंगेबाजी की जा रही है।

मीटिंग में बीएसएनएल में व्याप्त चिंताजनक स्थिति और वित्तीय संकट पर भी गंभीरता से चिंतन किया गया। कंपनी, DoT द्वारा जानबूझ कर उत्पन्न अवरोधों की वजह से बैंक लोन लेने की स्थिति में भी नही है। फलस्वरूप, इलेक्ट्रिक बिल, किराया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेजेस आदि के भुगतान हेतु भी बीएसएनएल सर्कल्स को फंड्स जारी करने में असमर्थ है। विकास और विस्तार के कार्यों में भी देरी के चलते कंपनी की ग्रोथ भी विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों के वेतन से GPF, EPF, बैंक EMI, सोसाइटी की किश्त आदि की राशि कटौती के बावजूद संबंधित संस्थाओं/एजेंसीज को प्रेषित नही की जा रही है, जिससे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं।

DoT द्वारा बीएसएनएल के रिवाइवल के सारे रास्तों पर बाधा उत्पन्न की जा रही है। सरकार भी निजी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में किसी भी रूप में सहयोग नही कर रही है। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने अपनी खाली पड़ी जमीनों के प्रभावी उपयोग/लीज पर देने के लिए "भूमि प्रबंधन नीति" (लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी) DoT के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की है। यदि यह पॉलिसी अनुमोदित हो जाती है, तो बीएसएनएल को अपनी खाली जमीनों (vacant lands) को लीज/किराए पर देने से रु 7,000 करोड़ से रु 10,000 करोड़ तक सालाना आय हो सकती है। किंतु DoT द्वारा इस प्रस्ताव को भी जानबूझकर कर अवरोधित (ब्लॉक) किया जा रहा है।

बीएसएनएल मैनेजमेंट ने बीएसएनएल के टॉवर्स के रखरखाव के लिए अत्यधिक दरों पर आउटसोर्स करने की योजना बनाई है, जिसके लिए प्रति वर्ष भारी भरकम राशि का भुगतान करना होगा। इसकी शुरुआत में ही AUAB इसका विरोध कर चुकी है। किन्तु बीएसएनएल मैनेजमेंट अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा है। सभी जगह टॉवर्स का मेंटेनेंस बीएसएनएल के कर्मचारियों द्वारा ही

किया जा रहा है और निश्चित रूप से, इस हेतु इतनी अधिक राशि खर्च करने की जरूरत नही है, विशेष रूप से ऐसे समय जब कंपनी भीषण वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

उपर्युक्त सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, AUAB सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब कर्मचारियों द्वारा संघर्ष की पुनः शुरुआत का सही वक्त आ गया है। सर्वानुमति से यह भी तय किया गया कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए अत्यंत जरूरी कुछ और मांगों को मांगपत्र में शामिल किया जाए। मीटिंग में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए।

(1) जमीनी हकीकत के मद्दे नज़र, मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सभी एग्जीक्यूटिव्ज व नॉन एग्जीक्यूटिव्ज से 18.02.2019 से तीन दिवसीय हड़ताल पर जाने का आव्हान किया जाए।
(2) 11.02.2019 से 5 दिन तक देश भर में नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर आम जनता का स्ट्राइक डिमांड्स हेतु समर्थन प्राप्त किया जाए।
(3) 12 और 13 फरवरी, 2019 को परिमंडल और जिला स्तर पर प्रेस वार्ता की जाए।
(4) सभी राजनीतिक दलों से हमारी डिमांड्स, विशेष रूप से बीएसएनएल का रिवाइवल, हेतु समर्थन हासिल करने के लिए मुलाकात की जाए।

डिमांड्स.....

(1) 15% फिटमेंट के साथ 3rd पे रिवीजन का क्रियान्वयन ।
(2) बीएसएनएल मैनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन।
(3) 01.01.2017 से बीएसएनएल रिटायरिज का पेंशन रिवीजन।
(4) गवर्नमेंट के नियमों के तहत बीएसएनएल द्वारा पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान।
(5) 2nd पे रिवीजन कमिटी के शेष मुद्दों का निराकरण।
(6) a) बीएसएनएल की भूमि प्रबंधन नीति (Land Management Policy) का शीघ्र अनुमोदन।
b) नाम परिवर्तन (mutation) की और बीएसएनएल की स्थापना के समय लिए गए कैबिनेट के निर्णय अनुसार सभी संपत्ति (assets) बीएसएनएल को स्थानांतरित करने की कार्यवाही त्वरित पूर्ण की जाए ।
(7) बीएसएनएल की स्थापना के समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार बीएसएनएल की वित्तीय जीवंतता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय सहयोग दिया जाए। बीएसएनएल के बैंक से ऋण लेने के लिए प्रस्ताव हेतु "लेटर ऑफ कम्फर्ट" जारी किया जाए।
(8) बीएसएनएल के मोबाइल टॉवर्स का आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखरखाव का प्रस्ताव रद्द (Scrap) किया जाए।

धन्यवाद।
भवदीय,

कॉम चंदेश्वर सिंह
चेयरमैन, AUAB

कॉम पी अभिमन्यु
कन्वेनर, AUAB